चीनी उद्योग पर संकट गहराया 17 हजार करोड़ का बकाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीनी मूल्य में लगातार गिरावट से चीनी मिलें घाटे के गंभीर दलदल में फंस गई हैं, जबकि गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 17 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को छूने लगा है। चीनी मिल मालिकों ने केंद्र सरकार से घाटे से उबारने की गुहार लगाई है। इस्मा का दावा है कि मिलें 12 हजार करोड़ रुपये के घाटे में पहुंच गई हैं। उन्हें उबारने के लिए पांच सूत्र गिनाए है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खेतों में गन्ना खड़ा होने के बावजूद मिलें बंद होने लगी हैं। इससे कानून व्यवस्था की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चीनी के भाव केंद्र के गन्ना के लिए घोषित उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर भी पड़ता नहीं खा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के भीतर मिल गेट पर चीनी के मूल्य 30 रुपये से घटकर 25 रुपये के निचले स्तर को छूने लगे हैं। इससे केवल गन्ने की खरीद लागत की ही भरपायी हो सकेगी। बाकी खर्च घाटे में जा रहा है। मिलों को चालू पेराई सीजन में कुल 12 हजार करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है।

एक सवाल के जवाब में इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बताया कि मार्च अंत तक गन्ने की बकाया राशि 17 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। यह अब तक का सर्वाधिक बकाया होगा। किसानों का भुगतान ठप है। घाटा उठा रही मिलों को बैंक भी कर्ज देने से साफ मना कर रहे हैं। इस्मा अध्यक्ष ए वेल्लायन ने कहा कि सरकार के समक्ष पांच सूत्री प्रस्ताव रखकर मदद की गुहार की गई है। पहला प्रस्ताव यह है कि चीनी का बफर स्टॉक बनाया जाए, जिसे केंद्र बाजार भाव पर राशन प्रणाली के तहत राज्यों को बांटे। तथ्य यह है कि इसी प्रणाली को बदलने के लिए चीनी उद्योग ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया था।

मदद की दरकार

- चीनी मिलों ने केंद्र सरकार से मदद की लगाई गुहार
- मिलें भी 12 हजार करोड़ रुपये के घाटे में पहुंचीं

इस्मा का पांच सूत्री प्रस्ताव

- चीनी का बफर स्टॉक बने, जिसे केंद्र बाजार भाव पर राशन प्रणाली के तहत राज्यों को बांटे।
- शीरे पर उत्पाद शुल्क को हटाया जाए और एथनॉल उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाए।
- राज्य एसएपी की जगह अन्य फसलों की तरह बोनस दे और उसका भुगतान किसानों के खाते में करें।
- मिलों की वित्तीय हालत ठीक करने के लिए बैंकों के बकाया ऋणों को पुनर्गठित किया जाए।
- अंतिम उपाय के रूप में मिलों को फाइन चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाए।

दैनिक जागरण
14-3-15